भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2899

03 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात का घरेलू उत्पादन और आयात

2899. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में इस्पात के घरेलू उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस्पात के आयात ने घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;और

(घ) सरकार द्वारा देश में घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तैयार इस्पात के घरेलू उत्पादन और आयात की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	उत्पादन (एमटी)	आयात(एमटी)
2020-21	96.20	4.75
2021-22	113.60	4.67
2022-23 (अप्रैल-जून)*	28.89	1.17
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; *अनंतिम; एमटी= मिलियन टन		

(ख) इस्पात में अनेक ग्रेड और श्रेणियां हैं जिसके अध्याय-72 में 8 अंकीय वर्गीकरण के 507 टैरिफ लाइन हैं और देश में कुल 901 इस्पात उत्पादक इकाइयां हैं। इस्पात के आयात से कुछ घरेलू

विनिर्माताएंप्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए होंगे। विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तैयार इस्पात के घरेलू उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, तैयार इस्पात की खपत में घरेलू उत्पादन की समग्र हिस्सेदारी बढ़ती रही हैं और आयातों की हिस्सेदारी घट रही हैं:-

वर्ष	खपत (एमटी में)			खपत में आयात की हिस्सेदारी%	खपत में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी%
	कुल	आयात की हिस्सेदारी	घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी		
2020-21	94.89	4.75	90.14	5.0 %	95.0 %
2021-22	105.75	4.67	101.08	4.4 %	95.6 %
2022-23 (अप्रैल-जून*)	27.69	1.17	26.52	4.2 %	95.8 %
स्रोत: जेपीसी, एमटी= मिलियन टन, *अनंतिम					

(ग)और(घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। उत्पादन, आयात और निर्यात जैसे निर्णय बाजार से निर्धारित होते हैं और ये प्रौद्यो-वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर इस्पात कंपनियों द्वारा लिए जाते है। सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपायों को अधिसूचित किया हैं, जिनमें शामिल हैं:-

i. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति।

ii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश।

iii. इस्पात आयातो के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

iv. विशेष इस्पात के लिए 6322 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

*****